

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक..... /

पटना, दिनांक.....
सं०सं०-03/उ०नि०/भवन नि०-02/17

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला उद्योग केन्द्र, सासाराम (रोहतास) एवं जमुई के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹3,23,25,380.00 (तीन करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार तीन सौ अस्सी) मात्र के अनुमानित लागत पर स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना के पत्रांक-290/पी०डी०ए०, दिनांक-13.02.2018 एवं पत्रांक-291/पी०डी०ए०, दिनांक-13.02.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला उद्योग केन्द्र, सासाराम (रोहतास) एवं जमुई के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹3,23,25,380.00 (तीन करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार तीन सौ अस्सी) मात्र के अनुमानित लागत पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) जिला उद्योग केन्द्र, सासाराम (रोहतास) के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹1,64,18,780.00 (एक करोड़ चौसठ लाख अठारह हजार सात सौ अस्सी) एवं जमुई के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹1,59,06,600.00 (एक करोड़ उनसठ लाख छः हजार छः सौ) मात्र अनुमानित लागत पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

(3) उपरोक्त जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन ऐजेंसी के रूप में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना को नामित किया गया है।

(4) उक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद में मूल आय व्ययक में उपबंधित राशि विकलीत होगा। जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

(5) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना के PL Account-PLA-268 में उपलब्ध करायेंगे। जिसकी प्राप्ति शीर्ष-K-8448001200029 हैं।

(6) इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

(7) राशि की निकासी कोषागार फार्म सं०-46 पर की जायेगी।

(8) प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-

सं०सं०-03/उ०नि०/भवन निर्माण-02/17 के पृष्ठ-19/टि० पर दिनांक-16.02.18 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या-454/IDC, दिनांक-16.02.18 है।

- (9) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-
संसं-03/उनि०/भवन निर्माण-02/17 के पृष्ठ-21/टि० पर दिनांक-27.02.18 को प्राप्त है।
- (10) वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि०(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

संसं-03/उनि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि०-11/14

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

संसं-03/उनि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि०-11/14

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

संसं-03/उनि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि०-11/14

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सासाराम (रोहतास) एवं जमुई आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ०नि०)/प्रशाखा-1 योजना (स०)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।